फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री कालू बनाम विपक्षी : राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 35/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 02.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में आवंटन पत्रावली की प्रति पेश की जा चुकी हैं जिससे प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर सुने जाकर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा अगोरिया पटवार हल्का बरोडिया की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया की 18 की आराजी न. 1113 रकबा 0.6500 हैक्टयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम खातेदारी से दर्ज है उक्त भूमि के साबिक आराजी न. 817/422 रकबा 4 विघा थे जो जमाबंदी संवत् 2068–71 में दर्ज हैं। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थी की साबिक आराजी न. 817/422 का रकबा 4 बिघा के हिसाब से 0.8640 है. होना चाहिये था जिसे अशुद्ध रूप से 0.6500 है. कर दिया गया जिससे संशोधित कर साबिक रकबे अनुसार किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया कि राजस्व ग्राम अगोरिया की जमाबंदी सम्वत् 2048–51 के खाता नं. 215 में आराजी नं. 422/3 क रकबा 4 बिघा श्री कालू पिता चुन्ना मेघवाल सा.दे.गै.खातेदार दर्ज रिर्काड था। जमाबन्दी सम्वत् 2052–55 के खाता नं. 218 में साबिक आ.न. 422/2क रकबा 4 बिघा श्री कालू पिता चुन्ना मेघवाल सा.दे. गै.खातेदार दर्ज रिकार्ड था। जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 में खाता नं. 27 में आ.न. 817/422 रकबा 4 बिघा श्री कालू पिता चुन्ना मेघवाल सा. दे. खातेदार दर्ज रिकार्ड था। बंदोबस्त का रेकर्ड लागू होने के बाद साबिक आ.न. 422/3 क रकबा 4 बिघा के नये आ.न. 1113 रकबा 0.6500 है. बने जबकि 4 बिघा के हिसाब से रकबा 0.8600 है. होना चाहिए था। मौके पर प्रार्थी श्री कालू मेघवाल का वर्तमान आ.न. 1113 रकबा 0.6500 है. पर ही कब्जा है। बंदोबस्त से पूर्व के राजस्व नक्शे में साबिक आ.न. 422/3 क की तरमीम नहीं है। अतः प्रार्थी श्री कालूलाल पिता चुन्ना को आवंटन पत्रावली का नक्शा उपलब्ध करवाने हेतु पाबन्द किया है।

हमने पाया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया है जिसमें सेटेशन के दौरान हुई लिपिकीय त्रुटियों को सुधारे जाने का प्रावधान हैं जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर नवीन सेटलमेंट के बाद हुई रकबे में हुई कमी को संशोधित किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि बंदोबस्त के पुर्व राजस्व नक्शे में साबिक आराजी न. 422/3 क की तरमीम नहीं है साथ ही मौके पर प्रार्थी श्री कालू मेघवाल का आराजी न. 1113 रकबा 0.6500 है. भूमि पर ही कब्जा हैं। उक्त कथन साक्ष्य का विषय है जो धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं हैं। धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत लिपिकीय त्रुटि को सुधारा जाता हैं। अतः प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से व वादी के बाद पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] होकर नम्बर से कम निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:51:51 IST
Reason: SelfAttested